न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी–मनोज, आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या – वाद पत्र 13/2023

अनवान प्रकरण

1–श्री गोपाल उर्फ नानालाल पिता बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी लुहारिया तहसील मांडल
2–भैरूलाल उर्फ नंदकिशोर पिता बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी लुहारिया त0माण्डल
3–रामकन्या पत्नि बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी लुहारिया मृतक के बजाय:–
3/1–श्रीमति शांता पत्नि कन्हैयालाल बाहेती पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी कालियास तहसील आसीन्द
3/2–श्रीमती सुशीला देवी पत्नि बद्री नुवाल पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी रायपुर तहसील रायपुर
3/3–श्रीमती गीता पत्नि रामस्वरूप राठी पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा
3/4–श्रीमती कान्तादेवी पत्नि गोपाल काबरा पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी रायपुर तहसील रायपुर

–––वादीगण

बनाम

–सुवालाल पिता रामनारायण कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त0 मांडल मृतक के बजाय:–
/1–बालकिशन पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया तहसील माण्डल
/2–सत्यनारायण पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया तहसील माण्डल
/3–राधेश्याम पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया तहसील माण्डल
/4–जगदीश पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया तहसील माण्डल
/5–श्रीमती पुष्पा पिता सुवालाल कोठारी महाजन पत्नि मूलचन्द जागेटिया निवासी गोरख्या 0करेड़ा
/6–श्रीमती रूकमण पिता सुवालाल कोठारी महाजन पत्नि लक्ष्मीलाल समदानी निवासी हरी त0रायपुर
–सत्यनारायण पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया तहसील माण्डल
–राधेश्याम पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी लुहारिया तहसील माण्डल
–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

–––प्रतिवादीगण

द पत्र बाबत– खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 व 89 ज0काश्त0अधिनियम)

––––0––––

र्थी:–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151जा0दी0द्वारा प्रति0सं0 2 व 3

––––0––––

स्थित:– वकील प्रार्थी – श्री सूरज सनाढ्य
वकील अप्रार्थी – श्री मांगीलाल सैन

––––

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

आदेश

दिनांक 06.09.2024

प्रार्थी (प्रतिवादी सं0 2 व 3) की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

1–यह कि वादीगण/अप्रार्थीगण के द्वारा प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 88–89 रा0का0अ0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा ईश्वरलाल कोठारी की संतान है। ग्राम लुहारिया में पुराने वन्दोबस्त में कुल कीता 7 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा भूमि जोरावरमल पिता ईश्वरलाल के खातेदारी अधिकार की थी। जोरावरमल सम्वत् 2003 में लाऔजाद फौत हो गए। जोरावरमल के पूर्व ही जोरावरमल के भाई चुन्नीलाल व सोमकरण का निधन हो गया था तथा चुन्नीलाल के पुत्र रामनारायण का भी जोरावरमल के जीवनकाल में यारि सम्वत् 2000 में हो गया था। जोरावरमल की मृत्यु1 के बाद जोरावरमल के वारिस सुवालाल प्रतिवादी संख्या 1 व बंशीलाल वादी सं0 1 व 2 के पिता व नम्बर 3 कीं पति व मदनलाल जायदाद पर काबिज हुए। मदनलाल का निधन 85 में लाऔलाद होने से जोरावरमल की वादवर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी सं0 1 सुवालाल व वादी संख्या 1 व 2 के के पिता व 3 के पति बंशीलाल काबिज हुए। वादवर्णित आराजीयात जोरावरमल की मृत्यु के बाद वादवर्णित आराजीयात प्रतिवादी सुवालाल व बंशीलाल के नाम पर दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु दिनांक 21.02.1959 को प्रतिवादी सं0 2 सत्यनारायण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाली। उक्त आराजीयात को वक्त सेटलमेण्ट सवम्वत् 2025 में प्रतिवादी सं0 2 सत्यनारायण के साथ–साथ प्रतिवादी सं0 3 राधेश्याम के नाम पर भी दर्ज करवादी। जबकि कब्जा काश्त प्रतिवादी संवालाल व वादी सं0 1 व 2 के पिता व 03 के पति का था। उक्त साबिक आराजीयात के हाल बन्दोबस्त में आराजीयात कीता 11 कुल रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा बने इसमें से कुल कीता 5 कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि आबादी में दर्ज हो गई जो कमी के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में कुल कीता 9 कुल रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 में सत्यनारायण, राधेश्यामि पिता सुवालाल के नाम खातेदारी से गलत दर्ज होने से इन्द्राज दुरूस्ती आवश्यक है।

2–यह कि इस वाद के विरूद्ध प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के द्वारा ग्राम लुहारिया की आ0नं0 1687 गेमु0 आबादी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया जो इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का नही है। वादवर्णित आराजीयात जोरावरमल की वसीयत के आधार पर प्रतिवादी सं0 2 के नाम पर बतौर खातेदार दर्ज हुई। वसीयत को विधिमान्य घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। इसी प्रकार वादीगण अपने को स्व0 जोरावरमल के वारिस बताकर यह वाद प्रस्तुत किया है जिसका अधिकार भी सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में यह वाद इसी स्टेज पर खारीज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

3–यह कि उक्त प्रार्थनापत्र का अप्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त बिन्दुओं को अपने जवाबदावे में उजर एतराज नहीं किया। प्रकरण वर्तमान में शहादत वादी में नियत होने से इस स्टेज पर इस प्रकार का एतराज करने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। को प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध बिनायवाद पैदा नहीं हुआ है, बिनायवाद के अभाव में वादपत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज होने योग्य है। वादी के द्वारा वाद इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत किया है वादी के द्वारा वसीयत का तथ्य गलत अंकित किया है क्योंकि नामान्तरकरण केवल मात्र विरासत से अंकित हुआ है न कि वसीयत के आधार पर। वादपत्र न्यायालय श्रीमान के श्रवणाधिकार का होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 सव्यय खारीज फरमाया जावे।

4–यह कि प्रार्थनापत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनते हुए प्रार्थनापत्र को अपने आदेश दिनांक 17.06.2022 से स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारीज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या आरटीए/117/2022 दिनांक 12.01.2023 से प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया कि यदि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण की वंशावली रखने वाले जागा/भाट रामगोपाल जागा द्वारा दिनांक 15.12.2009 को तैयार किये गये सजरे की पुश्टि में रामगोपाल जागा यदि जीवत हो तो उनके अथवा वे सक्षम नहीं हो अथवा उनकी मृत्यु हो चुकी हो तो उनके पुत्र को न्यायालय में तलब किया जावे एवं उनके बयान लेखबद्ध किये अथवा पोथी(सजरे के संबध में) का अवलोकन किया जाकर वाद को निर्णित किया जावे।

5–यह कि प्रकरण प्रतिप्रेषित किए जाने पर पुनः वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के निर्देशानुसार शहादत हेतु जागा को तलब किया गया। रामगोपाल जागा का निधन होने से उनके पुत्र एवं पौथी रखने व पढने वाले गवाह के मौखिक बयान कलमबद्ध किये जाकर पुनः बहस सुनी गई।

6–यह कि हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ईश्वरदासजी कोठारी के जोरावरमलजी पुत्र हुए जो लाऔलाद फौत हुए। ईश्वरदासजी के वादी संख्या 1 व 2 के पिता व 03 के पति बंशीलाल, प्रतिवादी सं0 1 सुवालाल व मदनलाल किस प्रकार ईश्वरदासजी के संताने हैं केवल मात्र वाद में सजरा अंकित कर देने मात्र से नहीं माना जा सकता है। पत्रावली में प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा समाज की वंशावली रखने वाले रामगोपाल जागा द्वारा दिनांक 15.12.2009 को तैयार किए गए सजरे की फोटो प्रति प्रस्तुत की जिसमें स्व0 बंशीलाल, सुवालाल व मदनलाल तीनों ही रामनारायण के लड़के है तथा रामनारायण के पिता चुन्नीलालजी तथा चुन्नीलालजी के पिता हुक्मीचन्दजी थे। जोरावरमल के पिता का नाम ईश्वरदास था। इस प्रकार उदयरामजी के हुक्मीचन्द, ईश्वरदास व भूरादासजी हुए। इनमें से भूरादासजी के ईश्वरदास के पुत्र बरदीचन्द को गोद रखने का अंकन है। हुक्मीचन्द व ईश्वरदास लाऔलाद फौत नहीं हुए इनके वारिसों के नाम जागा ने अपनी वंशावली में

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

दर्शा रखा है। उक्त सजरे को रामगोपाल जागा के पुत्र राजन पिता रामगोपाल जागा निवासी शाहपुरा सीडब्ल्यू–2 व रमेशचन्द्र पिता बंशीलाल जागा निवासी शाहपुरा सीडब्ल्यू–1 के मौखिक बयान कलम बद्ध किए गए। इनमें से राजन ने अपने पिता के हस्ताक्षर पहचाने तथा जो सजरा पत्रावली में प्रस्तुत है उसे देखकर सही होना बताया। तथा वर्तमान में जागा का काम मेरे बडे पिता के लड़के रमेशजी करते हैं जिरह में बताया कि पौथी में से ढूंढकर बोलना पड़ता है इसलिए सजरा दूसरों से बनवाया । वंशावली (पौथी) को मैं नहीं पढ सकता। इसी प्रकार गवाह रमेशचन्द्र ने अपने बयान में यह स्वीकार किया कि पत्रावली में जो सजरा प्रस्तुत है वह मेरे काका रामगोपाल का हस्तलिखित नहीं है बल्कि उस पर हस्ताक्षर उनके ही है। पौथी बांचने का काम भी मैं ही करता हूं । पौथी के हिसाब से सजरा सही है । इस प्रकार जोरावरमल के नाम पर जो भूमि थी वह जरिये इंतकाल नं0 79 से दिनांक 21.02.1959 को ही सत्यनारायण के नाम दर्ज करने हेतु स्वीकृत हो चुका था उसी के आधार पर नकल जमाबन्दी सम्वत् 2013 से 2016 में आराजीयात कीता 7 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा भूमि सत्यनारायण पिता सुवालाल कोठारी सा0 देह के नाम दर्ज है।नकल जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2019 में भी इसी प्रकार का अंकन है। इसके पश्चात सम्वत् 2034 से 2037, सम्वत् 2038 से 2041, सम्वत् 2042 से 2045, व सम्वत् 2046 से 2049 की जमाबन्दी में सत्यनारायण, राधेश्याम पिता सुवालाल महाजन सा0 देह खातेदारी से आराजीयात कीता 11 कुल रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 49 की जमाबन्दी में आ0नं0 3607/1588–1592–1593–1594–3609/1595 कुल कीता 5 कुल रकबा 2बीघा 2 बिस्वा भूमि जरिये इन्तकाल नं0 1614 दिनांक 31.05.1993 से तथा आ0नं0 1687 रकबा 15 बिस्वा भूमि इन्तकाल नं0 1626 दिनांक 08.06.1993 से गेमु0 आबादी दर्ज हुई। जब वादवर्णित आराजीयात इन्तकाल नं0 79 दिनांक 21.02.1959 को ही सत्यनारायण के नाम दर्ज हुई तत्समय वादी सं0 1 व 2 के पिता व 03 के पति बंशीलालजी जीवित थे तो उनके द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण सं0 79 से हुए परिवर्तन को किसी सक्षम न्यायालय में उजर एतराज नहीं किया और 40 वर्ष बाद वादी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 79 वर्ष 1959 में हुए परिवर्तन को वर्ष 1999 में अपने को ईश्वरदासजी का वंशज बताते हुए घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। परन्तु वादी ने ईश्वरदासजी के वंशज होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से वंशावली की फोटो प्रति प्रस्तुत की है उसे वंशावली रखने वाले परिवार के सदस्ये के मौखिक बयानो से सही होना सिद्ध कराया है। इस प्रकार वादीगण के द्वारा 40 वर्ष बाद यह वाद बिना उचित वाद कारण के निराधार व बेबुनियाद तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो काबिल खारीजी के है। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा द्वारा अपने निर्णय में वादवर्णित आराजीयात में से संपरिवर्तित आराजी नं0 1687 गेमु0 आबादी को छोडते हुए निर्णय हेतु निर्देशित किया है। इस प्रकार वादीगण के द्वारा यह वाद जो प्रस्तुत किया है वह 40 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किए जाने से वाद पत्र में अंकित वाद कारण बेबुनियाद एवं निराधार है एवं वादीगण अपने को स्व0 ईश्वरदासजी के वंशज होना किसी भी तरह से सिद्ध नहीं कराया है। किसी भी व्यक्ति को किसी मृतक का वारिस

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

घोषित करने का अधिकार भी सिविल न्यायालय को है। इस प्रकार वादीगण द्वारा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को सिद्ध कराने में पूर्णतया सफल रहने के कारण प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव–

आदेश

प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को स्वीकार किया जाकर वादीगण/अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को भी खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 06.09.2024 को तैयार कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0) डिक्री

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री मनोज (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्री शीपाल उर्फ शान्तालाल पिता बंशीलाल महाजन कोठारी नि० लुहारिया त० माण्डल ② नंदकिशोर पिता बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी लुहारिया त० मांडल ③ नंदकिशोर पिता बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी लुहारिया त० मांडल ③ श्रीमती रामकन्या पत्नी बंशीलाल पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी कालियास तहसील आसींद, 3/2 श्रीमती सुशीला देवी पत्नी बद्री पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी रायपुर तहसील रायपुर, 3/3 श्रीमती गीता पत्नी रामस्वरूप शर्मा पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी भीलवाड़ा त० भीलवाड़ा, 3/4 श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्रीपाल कावरा पुत्री बंशीलाल महाजन कोठारी निवासी रायपुर तहसील रायपुर

वादीगण

बनाम

1. सुवालाल पिता रामनारायण कोठारी महाजन निवासी लुहारिया त० मांडल मृतक के वजाय 1/1 बालकिशन पिता श्री सुवालाल कोठारी महाजन, 1/2 सत्यनारायण पिता सुवालाल कोठारी महाजन, 1/3 राधेश्याम पिता सुवालाल कोठारी महाजन, 1/4 जगदीश पिता सुवालाल कोठारी महाजन सर्व निवासियान लुहारिया तहसील माण्डल, 1/5 श्रीमती पुष्पा पिता सुवालाल कोठारी महाजन पत्नी मूलचन्द जागेटिया निवासी गोरखा तहसील करेडा, 1/6 श्रीमती रुकमण पिता सुवालाल कोठारी महाजन पत्नी लक्ष्मीलाल समदानी निवासी नाहरी तहसील रायपुर
2. सत्यनारायण पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी-लुहारिया तहसील-माण्डल
3. राधेश्याम पिता सुवालाल कोठारी महाजन निवासी-लुहारिया तहसील-माण्डल
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 R.T.A मुकदमा नं0 / वर्ष 13/23 निर्णय दिनांक 06.09.24 यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरुप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व सूरजसनाढ्य Adw. मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा०दी० को स्वीकार किया जाकर वादीगण / अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को भी खारीज किया जाता है।

आज तारीख 06-09-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा